

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2009/TR/29.

New Delhi, dated 02-02-2010.

The General Managers (P)
All Indian Railways and Production Units
(As per standard list)

Sub: Posting of husband and wife at the same station.

In view of the utmost importance attached to the enhancement of women's status in all walks of life and to enable them to lead a normal family life as also to ensure the education and welfare of the children, the instructions regarding posting of husband and wife at the same station were issued vide Ministry of Railway's letter No. E(NG)II/71/TR/14 dated 01.10.71, as reiterated in letter No.E(NG)I-86/TR/14 dated 06/01/88. Pursuant to a recommendation of the 5th CPC, the scope of these instructions was further widened and detailed guidelines were issued vide this Ministry's letter No.E(NG)I-97/TR/28 dated 05.11.97 in a consolidated form.

2. In the context of the need to make concerted efforts to increase representation of women in Central Government jobs, these guidelines have been reviewed to see whether the instructions could be made mandatory. It has been decided vide Deptt. of Personnel & Training's O.M. No. 28034/9/2009-Estt(A) dated 30.09.2009 that when both spouses are in the same Central Service or working in same Deptt. and if posts are available, they may mandatorily be posted at the same station.

3. The guidelines, as framed by DOP&T in view of the 6th CPC, have been examined in this Ministry and it has been decided to adopt these with certain modifications. Accordingly provisions of guidelines issued under Board's letter dated 5.11.97 *ibid* have been modified as under :-

a. **Where both the spouses are railway employees and belong to the same seniority units:**

The husband & wife, if working in the same Department and if the required level of post is available, should invariably be posted together in order to enable them to lead a normal family life and look after the welfare of their children especially till the children attain 18 years of age. This will not apply on appointment under the Central Staffing Scheme. Where only wife is a Government servant, the above concessions shall be applicable to the Govt. servant. Hence both the railway servants may be posted at the same station/place ensuring that one of them does not work as subordinate to the other.

b. **Where both the spouses are railway servants but belong to different seniority units.**

.....2/-

Efforts may be made to post both the railway servants at the station where posts at appropriate level exist in the respective seniority units failing which requests for change of the category may be considered sympathetically keeping in view all other relevant rules in the matter.

c. **Where one of the spouses is a railway servant and the other belongs to All India Service or another Central Service.**

The Railway servant should be posted at station/place in the Railway/Division/PU in whose territorial jurisdiction the place/state of posting of his/her spouse falls or as close to it as possible if there is no Railway Organization/post at the place/state of posting of the spouse.

d. **Where one of the spouses is a railway servant and the other belongs to a state service.**

The Railway servant should be posted at the station/place in the Railway/Division/PU in whose territorial jurisdiction the place/state of posting of his/her spouse falls. If it is not possible, if a request from the railway servant to the Controlling Authority of the spouse for his/her posting at the place of posting of the railway servant is received the same may be forwarded to the concerned authority for sympathetic consideration.

e. **Where one of the spouses is a railway servant (all India service) and the other is working in a central/state/Public Sector Undertaking/Autonomous Body/Private Sector:**

The railway servant may apply to the controlling Authority for a posting at the place of posting of his/her spouse which may be considered favorably by the competent authority. If no post is available for posting of the railway servant at the place of posting of the spouse he/she may be posted to a place closer to the place of posting of the spouse. If this also is not possible application from the railway servant for posting of the spouse who is working in the Central/State/Public Sector Undertaking may be forwarded to the controlling authority of the spouse of his/her posting at or near the place of the railway servant.

4. Complaints are sometimes received that even if posts are available in the station of posting of the spouse, the administrative authorities do not accommodate the employees citing administrative reasons. In all such cases, the cadre controlling authority should strive to post the employee at the station of spouse and in case of inability to do so, specific reasons, therefor, may be communicated to the employee.

5. Although, normal channels of representations/complaints redressal mechanism exists, added safeguards to prevent non-compliance may be provided by ensuring that the

complaints against non-adherence to the instructions are decided by authorities at least one level above the authorities which took the original decision when they are below the SAG level/Head of PUs. All such representations should be considered and disposed off in a time bound manner.

6. While all out efforts may be made to post the husband and wife at the same station, instructions issued by the Board from time to time in regard to request transfer/change of category should be followed in all such cases. A separate register may be maintained at each Divisional and Zonal headquarters of the Railways for registering requests for transfers from railway servants for posting at the place of posting of their spouses, which may be reviewed from time to time, by competent authority.

Please acknowledge receipt.


(M.K.Meena)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board.

No. E(NG)I-2009/TR/29

New Delhi, dated 02-02-2010.

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2009/टीआर/29

नई दिल्ली, दिनांक: 02.02.2010

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: पति तथा पत्नी की एक ही स्टेशन पर तैनाती।

जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए तथा उन्हें सामान्य पारिवारिक जीवन यापन में समर्थ बनाने और बच्चों की शिक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, रेल मंत्रालय के दिनांक 01.10.71 के पत्र सं. ई(एनजी)II/71/टीआर/14 द्वारा पति एवं पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे जिनकी दिनांक 06.01.88 के पत्र सं. ई(एनजी)I-86/टीआर/14 में पुनरावृत्ति की गई थी। पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसरण में, इन अनुदेशों की परिधि आगे और बढ़ाई गई थी तथा इस मंत्रालय के दिनांक 05.11.97 के पत्र सं. ई(एनजी)I-97/टीआर/28 द्वारा समेकित रूप में विस्तृत मार्गनिदेश जारी किए गए थे।

2. केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता के संदर्भ में, यह देखने के लिए इन मार्गनिदेशों की समीक्षा की गई है कि क्या अनुदेशों को अनिवार्य किया जाए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.09.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28034/9/2009-इस्टे (ए) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब पति एवं पत्नी दोनों एक ही केन्द्रीय सेवा में हो अथवा एक ही विभाग में कार्यरत हों तथा यदि पद उपलब्ध हो तो उन्हें अनिवार्य रूप से एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाए।

3. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा बनाए गए मार्गनिदेशों की इस मंत्रालय में जांच की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि इन्हें कतिपय आशोधनों के साथ अपनाया जाए। तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 05.11.97 के पत्र के अंतर्गत जारी किए गए मार्गनिदेशों के प्रावधानों में निम्नानुसार आशोधन किए गए हैं:

क. जहां पति/पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हों और समान वरिष्ठता इकाई से संबंधित है।

यदि पति एवं पत्नी एक ही विभाग में कार्यरत हों तथा यदि अपेक्षित स्तर के पद उपलब्ध हो, तो उन्हें निरपवाद रूप से एक ही स्थान पर तैनात किया जाए ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें तथा अपने बच्चों की विशेष रूप से उनके 18 वर्ष का होने तक देखभाल कर सकें। यह केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। जहां केवल पत्नी सरकारी कर्मचारी हो, उपर्युक्त रियायत सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य होगी। दोनों रेल कर्मचारियों की यह सुनिश्चित करते हुए एक ही स्थान/स्टेशन पर तैनाती की जा सकती है कि उनमें से एक दूसरे के अधीनस्थ के रूप में कार्य न करता हो।

ख. जहां पति/पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हों किंतु अलग-अलग वरिष्ठता इकाई से संबंधित हो।

दोनों रेल कर्मचारियों को ऐसे स्टेशन पर तैनात करने के प्रयास किए जाएं जहां संबंधित वरिष्ठता इकाइयों में उपयुक्त स्तर पर पद मौजूद हों, ऐसा न होने पर कोटि परिवर्तन हेतु अनुरोधों पर इस मामले में अन्य सभी संबद्ध नियमों को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

ग. जहां पति/पत्नी में से एक रेल कर्मचारी हो और दूसरा अखिल भारतीय सेवा या किसी केन्द्रीय सेवा से संबंधित हो।

रेल कर्मचारी की तैनाती उस रेल/मंडल/उत्पादन इकाई में किसी स्टेशन/स्थान पर की जाए जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में पति/पत्नी की तैनाती का स्थान आता हो अथवा यदि पति/पत्नी की तैनाती के स्थान/राज्य में कोई रेल संगठन/पोस्ट न हो तो यथासंभव निकटतम स्थान पर उनकी तैनाती की जाए।

घ. जहां पति/पत्नी दोनों में से एक रेल कर्मचारी हो तथा दूसरा राज्य सरकार की सेवा से संबंधित हो।

रेल कर्मचारी की उस रेल/मंडल/उत्पादन इकाई में किसी स्टेशन/स्थान पर तैनाती की जानी चाहिए जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में उसके पति/पत्नी की तैनाती का स्थान पड़ता हो। यदि यह संभव न हो तो रेल कर्मचारी की तैनाती के स्थान पर

पति/पत्नी की तैनाती हेतु रेल कर्मचारी की ओर से नियंत्रक प्राधिकारी को अनुरोध प्राप्त होने पर इसे संबंधित प्राधिकारी को अप्रेषित किया जाए ताकि इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

ड. जहां पति/पत्नी में से एक रेल कर्मचारी हो (अखिल भारतीय सेवा) तथा दूसरा केन्द्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र में कार्यरत हो।

रेल कर्मचारी अपने पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर तैनाती करने हेतु नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके पक्ष में विचार किया जा सकता है। यदि पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर रेल कर्मचारी की तैनाती हेतु कोई पद उपलब्ध न हो तो उसे अपने पति/पत्नी की तैनाती के निकटवर्ती स्थान पर तैनात किया जाए। यदि यह भी संभव न हो तो रेल कर्मचारी की ओर से केन्द्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्य करने वाले पति/पत्नी की तैनाती हेतु एक आवेदन पत्र उस पति/पत्नी के नियंत्रक प्राधिकारी को अप्रेषित किया जाए।


4. कई बार शिकायतें प्राप्त होती हैं कि पति/पत्नी की तैनाती के स्टेशन पर पद उपलब्ध होने पर भी प्रशासनिक प्राधिकारी प्रशासनिक कारणों से कर्मचारियों को वहां समायोजित नहीं करते। ऐसे सभी मामलों में, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी कर्मचारी को पति/पत्नी के स्टेशन पर तैनात करने के प्रयास करे तथा ऐसा करने में असमर्थ होने के मामले में कर्मचारी को उसके विशिष्ट कारण बताए जाएं।

5. हालांकि अभ्यावेदन/शिकायत सुधार तंत्र का सामान्य चैनल मौजूद है, यह सुनिश्चित करके कि अनुदेशों के गैर-अनुपालन के विरुद्ध शिकायतों के बारे में निर्णय उन प्राधिकारियों, जिन्होंने सर्वप्रथम (मूलतः) निर्णय लिया था, से कम से कम एक स्तर के ऊपर के प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाएं जब वे उत्पादन इकाइयों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर/प्रधान से कम स्तर के हों। ऐसे सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया जाए तथा उनका समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाए।

6. हालांकि पति एवं पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात करने के हर संभव प्रयास किए जाएं, स्थानांतरण/कोटि परिवर्तन के अनुरोध के संबंध में ऐसे सभी मामलों में बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया जाए। अपने पति/पत्नी के तैनाती के स्थान पर तैनाती के लिए रेल कर्मचारियों के स्थानांतरण के अनुरोध पंजीकृत करने के लिए रेलों के प्रत्येक मंडल

तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक अलग रजिस्टर रखा जाए जिसकी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाए।

कृपया पावती दें।



(एम.के. मीना)

उप निदेशक, स्था. (अराज)

रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)I-2009/टीआर/29

नई दिल्ली, दिनांक: 02.02.2010

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, ऑल इंडियन रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा सं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इंप्लॉईज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेलवे भवन, नई दिल्ली।
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
13. सलाहकार/संरक्षा, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
14. महानिदेशक एवं पदेन महाप्रबंधक, अ.अ.मा.सं. लखनऊ।



कृते सचिव, रेलवे बोर्ड